एक जोड़ी मीटर लाइन पर तथा एक जोड़ी बड़ी लाइन पर सुफरफास्ट गाड़िया है । अहमदाबाद और दिल्ली के बीच यातायात की मात्रा के बारे मे सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग) मार्गवर्ती खंडों पर लाइन क्षमता की तंगियों के कारण सर्वोदय एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि करना व्यावहारिक नही पाया गया है । चालू वर्ष के दौरान आश्रम एक्सप्रेस मे एक वातानुकूलित शयनयान की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । बहरहाल, इस गाड़ी में फिलहाल भोजनयान, पैंट्रीकार लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जलमार्गों का विकास

468. **श्री मीर्जा इर्शादबग** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल-मार्गो के माध्यम से परिवहन सुविधाओं के विकास संबंधी समिति गठित की गई थी, यदि हां, तो इसके सुझाव क्या थे और किन-किन जल-मार्गो को विकसित किये जाने की सिफारिश की गई थी, सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है और यदि नही, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ;

(ख) गुजरात के उन जल-मार्गों के नाम क्या हैं जो विकसित किये जा सकते हैं ;

(ग) क्या इस मामले में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हा, तो इस संबंध में रिपोर्ट क्या है , और

(घ) गुजरात सरकार ने इस मामले में क्या मांगें रखी है और उन पर क्या निर्णय लिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) अन्तर्देशीय जल परिवहन मे आने वाली समस्याओं की जाच करने और इसके विकास के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम सुझाने के लिये 1970 में अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति (भगवती समिति) गठित की गई थी । बाद मे, राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (1980) ने भी मामले की जांच की थी । इन समितियों ने 10 महत्वपूर्ण जलमार्गो का पता लगाया था, अर्थात (i) गंगा-भगीरथी-हुगली नदी प्रणाली (ii) ब्रहमपुत्र, (iii) माडोवी, जुआरी और कम्बारजुआ नहर (iv) महानदी, (v) गोदावरी, (vi) नर्मदा, (vii) ताप्ती, (viii) सुन्दरबन, (ix) कृष्णा और (x) पश्चिमी तटीय नहर जिन्हे राष्ट्रीय जलमार्गो के रूप मे घोषित किये जाने के लिये विचार किया जा सकता है । राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने राष्ट्रीय जल मार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंध के लिये भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आई० डब्ल्यू० ए० आई०) के गठन की भी सिफारिश की थी । इन सिफारिशों के अनुसरण मे शुरू में गंगा-भगीरथी-हुगली नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है । राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के लिये तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास से संबंधित मामलों पर केन्द्र राज्य सरकारों को सलाह देने के लिये संसद के एक अधिनियम के तहत 27-10-86 से भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण का भी गठन कर दिया गया है ।

(ख) से (घ) नर्मदा और ताप्ती को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किये जाने के लिये राज्य सरकार ने अनुरोध किया है । नर्मदा और नर्मदा मुख्य नहर पर नौचालन के लिये पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन और तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन चरण पूरा कर लिया गया है । दुर्गम खंडों से नदी सेवाये शुरू करने के लिये किये जाने वाले उपायो का पता लगाने और वित्तीय तथा आर्थिक विश्लेषण करने के लिये व्यवहार्यता अध्ययन के चरण II और III इसके शेष चरण है । ताप्ती के सबध मे कम कार्गो की सभावना और राष्ट्रीय जलमार्गो के रूप मे घोषित किये जाने के विचारार्थ अभिनिर्धारित अन्य जलमार्गों की तुलना मे कठिन नौचालन को देखते हुये अपेक्षित अध्ययनो की परवर्ती चरण मे परिकल्पना की गई है ।